बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के केन्द्र स्थापना हेतु द्वितीय चरण के पंजीकरण के आधार पर सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखण्ड में कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए लॉटरी के माध्यम से Ally Enterprises का चयन किया गया । केन्द्र स्थापना के क्रम में Ally Enterprises के विरुद्ध एक परिवाद पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखण्ड में SDC की स्थापना हेतु लॉटरी के माध्यम से चयनित प्रथम वरीयता के Ally Enterprises के पास पुपरी प्रखण्ड में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तथा वे लॉटरी में 10वीं वरीयता के उम्मीदवार Web Wizard Computer के साथ Partnership करके केन्द्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं । परिवादी के संस्था का लॉटरी में वरीयता क्रमांक-2 है । इनके पास केन्द्र संचालन हेतु उपयुक्त स्थल है, फिर भी वरीयता क्रमांक-1 Ally Enterprises का 10वीं वरीयता के एजेंसी के साथ Partnership कर लिये जाने के कारण उनकी एजेंसी को मौका प्राप्त नहीं हो रहा है । 10वीं वरीयता के चयनित एजेंसी Web Wizard Computer का प्रशिक्षण केन्द्र पूर्व से जिस भवन में चल रहा है, उसी भवन का Rent Agreement Ally Enterprises के द्वारा Portal पर Upload किया गया है । साक्ष्य स्वरूप परिवादी के द्वारा भवन का विडियोग्राफी कराया हुआ एक CD परिवाद पत्र के साथ संलग्न किया गया, जिसमें Web Wizard Computer का बोर्ड लगा हुआ पाया गया ।

परिवाद पत्र की जाँच दिनांक-04.11.2017 को परिवादी श्री सुशील कुमार चौधरी, प्रथम वरीयता के Ally Enterprises, भवन के मालिक श्री श्रवण कुमार तथा District Skills Manager, सीतामढ़ी के समक्ष बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारियों मिशन निदेशक, श्री संजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी, श्री देव नन्दन यादव, SPMU के Project Director श्री अमित कुमार पाण्डेय तथा सीतामढ़ी जिले के DPMU प्रभारी श्री प्रदीप कुमार, मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन के द्वारा की गयी । जाँच के समय प्रथम वरीयता के Ally Enterprises के प्रतिनिधि के रूप में 10वीं वरीयता के Web Wizard Computer के प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा ही Ally Enterprises के द्वारा मकान मालिक के साथ किया हुआ Rent Agreement की मूल प्रति जाँच टीम के सदस्यों के समक्ष उपस्थापित किया गया । जाँच के समय प्रथम वरीयता के Ally Enterprises का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुए तथा उनका प्रतिनिधित्व 10वीं वरीयता के Web Wizard Computer के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया । उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पूर्व से इस भवन में उनका निजी का कंप्यूटर सेंटर चलता है, जिसे वे अब Ally Enterprises को सौंप दिये हैं ।

प्रथम वरीयता के एजेंसी का प्रतिनिधित्व 10वीं वरीयता के एजेंसी के द्वारा किया जाना तथा उनके द्वारा ही Rent Agreement की मूल प्रति जाँच के समय BSDM के पदाधिकारियों को उपस्थापित किया जाना परिवादी के द्वारा परिवाद पत्र में उठाये गये बिन्दुओं को प्रमाणित करता है तथा यह सिद्ध करता है कि प्रथम वरीयता के एजेंसी M/s Ally Enterprises के द्वारा 10वीं वरीयता के एजेंसी के साथ Franchisee mode में केन्द्र के संचालन का प्रयास किया गया है, जो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन है ।

जाँच के फलाफल के आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या- BSDM/SDM-18/2017-907 दिनांक-9.11.2017 के द्वारा प्रथम वरीयता के एजेंसी M/s Ally Enterprises से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इस स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि 3 दिनों के भीतर एजेंसी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त होने की स्थिति में एजेंसी को कोई स्मार पत्र नहीं दिया जायेगा तथा उनके संस्था को

विरुद्ध नियमानुकूल विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी । निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी प्रथम वरीयता के एजेंसी M/s Ally Enterprises के द्वारा स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया गया, जो यह प्रमाणित करता है कि एजेंसी को परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोपों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह प्रमाणित होता है कि प्रथम वरीयता के एजेंसी के द्वारा 10वीं वरीयता के एजेंसी के साथ Franchisee mode में SDC पुपरी केन्द्र के संचालन का प्रयास किया जा रहा है, जो बिहार कौशल विकास मिशन के स्थापित नियमों का उल्लंघन है । अतः प्रथम वरीयता के एजेंसी का प्रतिनिधित्व 10वीं वरीयता के एजेंसी के द्वारा किये जाने, 10वीं वरीयता के एजेंसी के द्वारा ही प्रथम वरीयता के एजेंसी के द्वारा भवन मालिक से किये गये Rent Agreement की मूल प्रति BSDM को उपलब्ध कराये जाने, जाँच हेतु बिहार कौशल विकास मिशन में आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने तथा पूछे गये स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं देने के आधार पर M/s Ally Enterprises के विरुद्ध प्राप्त आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं । अतः लॉटरी के माध्यम से किये गये उनके चयन को रद्द किया जाता है।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक-BSDM/SDM-18/2016- 1032 पटना,दिनांक- 11/12/2017

प्रतिलिपि- (1) M/s Ally Enterprises, Flat no.211, Saryu Bihar Apartment, Gosai Tola, Patna, Operational office- 32/F, Patliputra Colony, Patna-800013, email id-ranjankumar522@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, सीतामढ़ी/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक,MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना सुनिश्चित करें ।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।